



कार्यालय-नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



भूमि सर्वेक्षण  
ONE EARTH ONE ECOSYSTEM ONE FUTURE

पत्रांक-1814 /12-1 :देहरादून: दिनांक: मार्च, 2026

२ अप्रैल

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(Online No. FP/UK/ROAD/8888/2014)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8वी/यू०सी०पी०/०६/११९/२०१८/एफ०सी०/३५४ दिनांक १३-०७-२०२१।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक १३-०७-२०२१ के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक ६६९२/१२-१ दिनांक २५.०३.२०२६ के द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र.सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। (संलग्नक-१)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी। (संलग्नक-२)
3	<p><b>प्रतिपूरक वनीकरण :-</b></p> <p>(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर ३.७० है० सिविल सोयम भूमि ग्राम बलुवाकोट, खसरा संख्या १९६४१, १९६३९, १९६४०, १९६६२ में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।</p> <p>(ख) गैरवानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) करने के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम १९२७ के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व</p>	<p>(क) विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर ३.७० है० सिविल सोयम भूमि ग्राम बलुवाकोट, खसरा संख्या १९६४१, १९६३९, १९६४०, १९६६२ में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों का मिश्रित प्लान्टेशन किया जायेगा। (संलग्नक-३ (क))</p> <p>(ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को जिलाधिकारी के आदेश सं० २६६३/सात-६७ दिनांक ०२.०९.२०२२ द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किया गया है। उक्त भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पृथक से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है। (संलग्नक-३ (ख))</p>

	<p>आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।</p> <p>(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p>	<p>(ग) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-3 (ग))</p>
4	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गई है। (संलग्नक-4)</p>
5	<p><b>शुद्ध वर्तमान मूल्य-</b></p> <p>(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 - एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007- एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.850 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा एन.पी.वी. की धनराशि जमा कर दी गई है। (संलग्नक-5 (क))</p> <p>प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शपथ पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3 (ख))</p>
6	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्ता पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (संलग्नक-6)</p>
7	<p>परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<a href="https://parivesh-nic.in/">https://parivesh-nic.in/</a>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया गया है। (संलग्नक-7)</p>
8	<p>गार्डइलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में कार्य करने की अनुमति जारी नहीं की गयी है। (संलग्नक-8)</p>
9	<p>एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं। (संलग्नक-9)</p>
10	<p>प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ायेगा।</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आई.आर.सी. मानदण्डों</p>

		के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी। (संलग्नक-10)
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे। (संलग्नक-11)
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (संलग्नक-12)
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। (संलग्नक-13)
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-14)
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। (संलग्नक-15)
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। (संलग्नक-16)
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है। (संलग्नक-17)
18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-18)
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी

		अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। (संलग्नक-19)
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु, वन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। (संलग्नक-20)
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्धारित शर्तों का पालन किया जायेगा। (संलग्नक-21)
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा गक डिस्पोजल का प्राविधान किया गया है। (संलग्नक-22)
23	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। (संलग्नक-23)
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) पर अपलोड की जायेगी। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की गई है। (संलग्नक-24)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या को संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि उपरोक्त के आलोक में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित, 2023 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदत्त करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ एस0पी0 सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :- 1814 /12-1 (दे0दू0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट, पिथौरागढ़।

(डॉ एस0पी0 सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक: 66 92/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 25 मार्च, 2026।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No. FP/UK/ROAD/8888/2014)।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 6520/12-1 दिनांक 28.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में पूर्व में प्रेषित की गयी है। पुनः अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

क्र. सं.	शर्तें	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।
3	<p><b>प्रतिपूरक वनीकरण:-</b></p> <p>(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.70 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम बलुवाकोट, खसरा संख्या 19641, 19639,19640, 19662 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।</p> <p>(ख) गैरवानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) करने के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।</p> <p>(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p>	<p>विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.70 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम बलुवाकोट, खसरा संख्या 19641, 19639,19640, 19662 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों का मिश्रित प्लान्टेशन किया जायेगा।</p> <p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को जिलाधिकारी के आदेश सं० 2663/सात-67 दिनांक 02.09.2022 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किया गया है। उक्त भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पृथक से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है।</p> <p>प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित।</p>
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गई है।

5	<p><b>शुद्ध वर्तमान मूल्य-</b></p> <p>(क) इस संबंध में भारत के गाननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में 1A नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 - एफ0सी0 दिनांक 03.10.2008 एवं 5-3/2007- एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.850 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर गाननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा एन.पी.वी. की धनराशि जमा कर दी गई है।</p> <p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शपथ पत्र पूर्व में प्रेषित है।</p>
6	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।</p>
7	<p>परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<a href="https://parivesh-nic.in/">https://parivesh-nic.in/</a>) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया गया है।</p>
8	<p>गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।</p>	<p>प्रकरण में कार्य करने की अनुमति जारी नहीं की गयी है।</p>
9	<p>एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।</p>	<p>वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख /प्रमाण पत्र सलग्न कर दिये गये हैं। (छाया प्रति संलग्न)</p>
10	<p>प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की संख्या बढ़ायेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।</p>
11	<p>संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाये जायेंगे।</p>
12	<p>पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।</p>
13	<p>केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।</p>
14	<p>वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।</p>
15	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।</p>

16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्धारित शर्तों का पालन किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मक डिस्पोजल का प्राविधान किया गया है।
23	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की गई है।

अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांक:- 6692 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,


पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।


बिंदु संख्या -01


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (1.850 हे०) वन भूमि में प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
अधिसास अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

विंदु संख्या -02

:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (1.850 है०) वन भूमि में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।



कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)



सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)




अधिशास्त्री अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

बिंदु संख्या -03(क)

:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (1.850 हे०) प्रस्तावित क्षतिपूरक वनिकरण की धनराशि में जमा कर दी गयी है। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा। तथा प्रजातियों का मिश्रीत प्लांटेशन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)



सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)




अधिशर्सी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -03(ख)


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरव्याप्तिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (1.850 हे०) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
अधिसासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

बिंदु संख्या -03(ग)

:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (1.850 हे०) प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।



कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)



सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)




अधिसासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -04


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (1.850 हे०) शर्त संख्या-3(क) अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा कर दी गयी है।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -05(क)


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (1.850 हे०) शर्त के अनुसार विभाग द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि जमा कर दी गयी है।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिशाली अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -05(ख)


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि जमा कर दी गई है। एवं यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय /भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -06


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (1.850 हे०) वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 81 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जा चुकी है ।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिशासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -07


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम – जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (1.850 हे०) वन भूमि में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित / जमा कर दिया गया है।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -08


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम – जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (1.850 हे०) में प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसाक्षी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -9


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (1.850 हे०) में प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -10


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण में आ०सी० सी०-मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसूत्री अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -11


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरव्यापिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (1.850 हे०) वन भूमि में संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क में प्रस्तावक विभाग द्वारा सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाये जायेंगे।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिशर्सी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -12


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (1.850 हे०) में प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिशास्त्री अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -13


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
अधिशाली अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

बिंदु संख्या -14

:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)



सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)




अधिशारी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -15


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -16


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसूत्री अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -17


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसूची अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -18


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है० वनभूमि का गैरव्यावसायिक कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -19


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। वनभूमि किसी एजेन्सी को प्रत्यावर्तित नहीं की जायेगी।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिशासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -20


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -21


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है० वनभूमि का गैरव्याप्तिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों का पालन किया जायेगा

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -22


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण में मक डिस्पोजल का प्राविधान किया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसारी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -24


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण में अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की गई है।

  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


  
अधिसासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


बिंदु संख्या -23


:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.850 है० वनभूमि का गैरवार्निकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/8888/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बलुवाकोट से कांडा मोटर मार्ग के निर्माण में संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।


  
कनिष्ठ अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

  
अधिसासी अभियंता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
अस्कोट(पिथौरागढ़)

पिथोरागढ़ अस्कोट

AGENCY COPY

यूनियन बैंक  Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-03-2022

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6188880242
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/119/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(In Rs)	2587787 /-


Amount In Words :Twenty-Five Lakh Eighty-Seven Thousand Seven Hundred and Eighty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896188880242 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक  Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-03-2022

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6188880242
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/119/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(In Rs)	2587787 /-

Amount In Words :Twenty-Five Lakh Eighty-Seven Thousand Seven Hundred and Eighty-Seven Rupees Only


NEFT/RTGS to be made as per following details;


Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896188880242 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003


• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to  
Email: cb0371@unionbankofindia.com


  
खण्डीय लेखाधिकारी  
निर्माण खण्ड लोड लोड वि०  
अस्कोट (पिथोरागढ़)



  
Executive Engineer,  
Construction Division  
P. W. D. Askote  
Pithoragarh

SB/N 22209593/667

SB/N 22209593/667



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ नो-वि० अ

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964-225234

पत्रांक:- 6669 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 26, मार्च, 2022।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
अस्कौट, पिथौरागढ़।

विषय:- जलपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग के निर्माण प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त डिमान्ड नोट प्रेषित-करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून पत्रांक 08 बी./यू०सी०पी०/06./119/2018/एफ.सी./354 दिनांक 22.07.2021 प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1293/13सी० दिनांक 22.07.2021 तथा आपका पत्रांक 264/सी० दिनांक 23.03.2022।

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दु सं० 04 व के क्रम में संशोधित डिमान्ड नोट पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र० सं०	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	1.85 हे०	6,57,000/- (ईको क्लास-V): घनत्व 0.2	12,15,450.00/-
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3.70 हे०	3,70,902.00	13,72,337.40/-
			योग	25,87,787.40/- या 25,87,787.00

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

नोडल अधिकारी वन/रू० अ/थास/अ/अ/अ

26/03/22

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्रपत्र-43

योजना का नाम:- 0 जनपद पिपौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 2.00 किमी०)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढौतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन की माँग के अनुसार किया जायेगा।

ह०/-  
प्रयोक्ता एजेन्सी

Kly  
05/20


AG  
सहायक अभियन्ता  
उपखण्ड धारचूला

अधिसारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०वि०वि०  
अल्कोट (पिपौरागढ़)

1  
इस कार्य के प्रमाणित  
दिनांक 05/11/2020

2000

P.C. Attest  
Sareddy



आदेश

सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.जी./06/119/2018/एफ.सी./354 दिनांक 13.07.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला अन्तर्गत बलुवाकोट-काण्डा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 1:850 हे० वन के बदले दोगुनी 3:700 हे० राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन विभाग हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

जिसका अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (1)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला अन्तर्गत बलुवाकोट-काण्डा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 1:850 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम बलुवाकोट पट्टी बलुवाकोट तहसील धारचूला के गैर जमींदारी दिश खतोनी खाता संख्या-304 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 19639 मध्ये रकवा 1.481 हे०, 19640 मध्ये रकवा 0.627 हे०, 19662 रकवा 2.091 हे० तथा खाता संख्या-324 श्रेणी-10(1) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 19641 रकवा 0.501 हे० इस प्रकार 02 खातों के कुल 04 तों की 3.700 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, धारचूला स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 05/07/2022

(डॉ० आशीष चौहान)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या-2663/सात-67/2021-22

दिनांक 05/07/2022

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रभारी वन अधिकारी, पिथौरागढ़।
  2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
  3. उप जिलाधिकारी धारचूला।
  4. तहसीलदार धारचूला को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
  5. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट।

जिलाधिकारी (वन)/अमीन

(डॉ० आशीष चौहान)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

36  
915  
20/07/22



ग्राम - वल्लभगढ़ पट्टी - वल्लभगढ़ तहसील - धारचूला, जिला पिथौरागढ़ फसली वर्ष सन्-

नकल खतौनी

श्रेणी - वल्लभगढ़ वज्र - मालिका माधव ३

खाता नं०	नाम खातेदार	जोत का वर्ष	खेत नं०	क्षेत्रफल हे०में.	विवरण
1		3	4	5	
204	वज्र - मालिका माधव		18	0.140	मालिका माधव की मालिका 2021-22 ई. तक जिनका क्षेत्रफल 0.333 है।
			19639	0.481	0.272 के क्षेत्रफल का जोत मालिका माधव की मालिका में शामिल है।
			19640	0.622	मालिका माधव की मालिका में शामिल है।
			19662	2.091	मालिका माधव की मालिका में शामिल है।
			17661	0.540	मालिका माधव की मालिका में शामिल है।
			2000	0.000	मालिका माधव की मालिका में शामिल है।
			719	1.635	मालिका माधव की मालिका में शामिल है।

राजेश वर्मा  
क्षेत्र अधिकारी

12/11/24

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला व विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बलुवाकोट(कांडा), तहसील धारचूला,  
जिला- पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाणपत्र

उत्तराखण्ड में जनपद - पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी. परियोजना के निर्माण हेतु ( 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.850 हे० सौवेल शाही भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.850 हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड लोके निर्माण विभाग अस्कोट,के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बलुवाकोट (कांडा) द्वारा ग्राम पंचायत को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयाक्ता एजन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपरोक्त सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसक अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, प्रस्तावित निर्माण किया गया कि बलुवाकोट (कांडा) के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि में निर्माण खण्ड लोके निर्माण विभाग अस्कोट प्रयाक्ता एजन्सी का परियोजना के निर्माण हेतु जान पर काइ आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

80  
ग्राम सचिव  
बलुवाकोट (कांडा)

प्रमाण  
ग्राम पंचायत बलुवाकोट  
विकासखण्ड धारचूला  
जिला- पिथौरागढ़

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयाक्ता एजन्सी का उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक - 10-11-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत - कनुवाकोट (मध्या)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के नाम	संख्या
11	माला सिंह स्त्री	
12	हेमलाल सिंह स्त्री	
13	विष्णु सिंह स्त्री	
14	नारायण सिंह स्त्री	संयुक्त
15	रामानंद सिंह	
16	रामानंद सिंह	
17	रामानंद सिंह	
18	रामानंद सिंह	
19	रामानंद सिंह	
20	रामानंद सिंह	
21	रामानंद सिंह	
22	रामानंद सिंह	
23	रामानंद सिंह	
24	रामानंद सिंह	
25	रामानंद सिंह	
26	रामानंद सिंह	
27	रामानंद सिंह	
28	रामानंद सिंह	
29	रामानंद सिंह	
30	रामानंद सिंह	
31	रामानंद सिंह	

जन संघायत का सं 31  
कनुवाकोट (मिर्जापुर)

ग्राम पंचायत कनुवाकोट  
मिर्जापुर - मिर्जापुर

परियोजना का नाम :-

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला  
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
 प्रमाण-पत्र  
 उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 200 कि.मी. (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि 1.850 हे० सिविल एंड सोरग वन भूमि 00 हे०) परमाणु भूमि अर्थात् कुल 1.850 हे० वन भूमि ) का निर्माण उपखण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेंन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील - धारचूला ) की दिनांक 25-11-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |                     |                           |         |
|----|---------------------|---------------------------|---------|
| 1- | श्री प्रमोद कुमार   | उपजिलाधिकारी              | अध्यक्ष |
| 2- | श्री                | उप प्रभागीय वनाधिकारी     | सदस्य   |
| 3- | श्री जीतेंद्र कुमार | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य   |
| 4- | श्री प्रदीप कुमार   | वी०डी०सी० क्षेत्र         | सदस्य   |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करत हुए उप जिलाधिकारी ने अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों का अवगत पत्रों में जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 200 कि.मी. परियोजना हेतु 1.850 हे० वन भूमि का उपखण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेंन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किए जाने हेतु परमाणु माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लौकिक नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सर्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है।

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करत हुए जानकारी से माननीय सदस्यों का अवगत पत्रों में अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किरती भी दावदार का दावा/आवदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 200 कि.मी.

परियोजना के निर्माण हेतु 1.850 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लाक निर्माण विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रशासित करने में सहमति व्यक्त की गयी।


  
उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़  
स्तरीय वन अधिकार समिति  
पिथौरागढ़  
जनपद, पिथौरागढ़

प्रतिलिपि:— जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
पिथौरागढ़  
जनपद, पिथौरागढ़

  
उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला के बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.000 किमी० हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला के बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.000 किमी० (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.850 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.850 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 12.12.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री श्री. प्रदीप शर्मा, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री श्री. प्रदीप शर्मा अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 2- श्री विनय भार्गव सदस्य, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 3- श्री श्री. केशव शर्मा सदस्य/सचिव, जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 4- श्री श्री. प्रदीप शर्मा सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र धारचूला।
- 5- श्री श्री. प्रदीप शर्मा सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र धारचूला-5।
- 6- श्री श्री. प्रदीप शर्मा सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र धारचूला।

सचिव, द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बलुवाकोट कांडा मोटर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण (लम्बाई 2.000 किमी०) परियोजना हेतु 1.850 हे० वनभूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला के बलुवाकोट कांडा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.850 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

श्री. प्रदीप शर्मा  
जिलाधिकारी (अध्यक्ष), पिथौरागढ़।

प्रभागीय वन अधिकारी (सदस्य)  
श्री. प्रदीप शर्मा  
पिथौरागढ़।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
श्री. प्रदीप शर्मा  
(सदस्य/सचिव), पिथौरागढ़।

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)  
सदस्य जिला पंचायत  
(01 सिदौरी) धारचूला  
पिथौरागढ़।


जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)  
क्षेत्र धारचूला-5

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)  
क्षेत्र धारचूला  
पिथौरागढ़।

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत धारचूला बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी.

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी.। परियोजना के निर्माण हेतु 1.850 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक न्याय विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति धारचूला तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्र. न अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के हि० व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वन पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि का कोई भी हि० लम्बित नहीं है।

  
जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़  
दिनांक 11/07/2017


नोट :- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा। सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारवहन लाईन, ऑ०एफ०सी० कंबिल पाईपलाईन विद्युत आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण-पत्र सख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाते हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रमाणपत्र के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र सख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद - पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के बलुवाकोट (कांडा) तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी। परियोजना के निर्माण हेतु 0.1850 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अरुकोट (प्रयत्न एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2013 व द्वारा संख्या 11-9/98-एफ0सी0 (सपदमंत) पर्याजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, आं0एफ0सी0 कंविल व ग्रेडप्लाटन क्षेत्र आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) का निर्माण नहीं हो रहे हैं।

  
जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़